दिनांक - 13/11/2019

प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) (PC&PNDT) -2019 की प्रथम फेज की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

....

1. उक्त काउंसिलिंग के माध्यम से यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित हो जाती है तो अभ्यर्थी द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू 5,000.00 जमा कर आवंटन पत्र डाउन लोड कर सकते है।
2. सिक्योरिटी धनराशि रू0 5.000.00 (रूपये पॉच हजार मात्र) नेट बैंकिग, केडिट कार्ड व एन0ई0एफ0टी0 (NEFT) के माध्यम से आन–लाईन भुगतान (रजिस्ट्रेशन के उपरान्त) करते हुये काउसिलिंग प्रकिया में बैंक द्वारा एम0आई0एस0/भुगतान की पुष्टि होने के उपरान्त ही आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते है।
3. आवंटन पत्र डाउनलोड करने के पश्चात् यदि संबधित कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश नही लिया जाता है तो सिक्योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
4. प्रवेश के समय अपने समस्त मूल अभिलेखों तथा उनकी 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ तथा 02 फोटोग्राफ सहित संबधित कालेज/विश्वविद्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
5. प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण शुल्क केन्द्रीय अधिनियम के अनुसार रू0 20,000/– लिया जाएगा।
6. प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को कोई स्टाईपेन्ड देय नहीं होगा।
7. च्वाईस फिलिंग के उपरान्त च्वाईस लॉक किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में काउसिलिंग प्रकिया मे अभ्यर्थी को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
8. PC&PNDT-2019 की द्वितीय फेज की काउंसिलिंग माह दिसम्बर, 2019 के अन्त तक करायी जायेगी, जिसकी सूचना यथासमय जारी की जायेगी।
9. शेष शर्ते शासनादेश संख्या–303/71–2–2016–178/2015, दिनांक 27 जनवरी, 2016 में यथावत् रहेगी।

महानिदेशक।